अध्याय-8

शिविर की संरचना एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व

1. शिविर संरचना की प्रशासनिक कार्रवाई–विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में संलग्न कर्मियों यथा विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, चार्ज ऑफिसर एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी आदि के कर्तव्यों, अधिकारों का सुस्पष्ट बंटवारा एवं विवरण आवश्यक है ताकि सभी अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन उचित एवं व्यवस्थित रूप से कर सकें। इस क्रम में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की कार्रवाई के लिए शिविर का गठन, उसके कार्यों का ब्यौरा, कर्मियों की उपलब्धता की कार्रवाई महती आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण के क्रियान्वयन का मुख्य युनिट शिविर कार्यालय होता है जिसके गठन, कर्मियों की आवश्यकता निम्नरूपेण होगी–

अधिनियम की धारा 3(1), नियमावली के नियम 3 के अनुसार विशेष सर्वेक्षण की अधिसूचना के निर्गत होने के बाद 50 से 60 मौजों (राजस्व ग्रामों) को इकाई मानकर एक शिविर का गठन किया जाना आवश्यक है।

प्रत्येक राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण कार्य यथा किस्तवार एवं खानापुरी कार्यों की जिम्मेवारियों का वहन अमीन के द्वारा कानूनगो एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की सहायता से किया जाएगा। राजस्व ग्राम का आकार बड़ा होने और इसका नक्शा कई चादरों में होने पर एक से अधिक अमीन को दायित्व दिया जा सकेगा।

- ⇨ प्रत्येक 25-30 राजस्व ग्राम पर एक कानूनगो की प्रतिनियुक्ति होगी।
- ⇨ एक शिविर कार्यालय के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी रहेंगे तथा उनके सहायतार्थ दो कानूनगो एवं 20-25 अमीन की प्रतिनियुक्ति रहेगी।
- ⇨ कानूनगो के अनुलब्धता की स्थिति में 20 राजस्व ग्रामों पर अनुभव एवं योग्यता के आधार पर एक अमीन की परिमाप निरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी।
- ⇨ शिविर कार्यालय में लिपिकीय कार्य का निष्पादन करने हेतु प्रत्येक शिविर में दो लिपिक एवं एक कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कार्य की आवश्यकता के अनुसार बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सहायतार्थ अन्य लिपिकों की भी प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। शिविरों में आईटी ब्वाय का पदस्थापन किया जाएगा।
- ⇨ बन्दोबस्त कार्यालय में कार्य के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा चार्ज पदाधिकारी की अनुशंसा पर अतिरिक्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो/लिपिक/कार्यपालक सहायक/आईटी ब्वाय का पदस्थापन किया जाएगा।